भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1233
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

गुजरात में अन्तर्देशीय मात्स्यिकी

1233. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात, विशेषकर कच्छ लोक सभा क्षेत्र के भुज, अबडासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार जिलों में अन्तर्देशीय मात्स्यिकी तथा संबद्ध प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के संवर्धन और विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि मछुआरों के कल्याण के साथ साथ मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रु/- के कुल निवेश से 'भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के टिकाऊ (ससटेनेबल) और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना' है । पीएमएमएसवाई को गुजरात सहित भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

पीएमएमएसवाई के तहत विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने गुजरात सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 798.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 242.66 करोड़ रु/- केंद्रीय अंश है । स्वीकृत परियोजनाओं में *अन्य बातों के साथ* -साथ जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण, फिश फीड मिलों की स्थापना, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लोक कल्चर इकाइयां, पारंपरिक मछुआरों के लिए नावों और जालों की आपूर्ति जैसी अंतर्देशीय मात्स्यिकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना शामिल है । स्वीकृत गतिविधियों में कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट जैसी कोल्ड चेन सुविधाएं, रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल,

आइस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर जैसी परिवहन सुविधाएं, लाईव फिश वेंडिंग सेन्टेर्स, डीसीस डायग्नोस्टिक और गुणवत्ता जांच लैब, गुजरात के विभिन्न जिलों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी के साथ साथ मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मछुआरों के लिए बीमा शामिल है ।

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में स्थानीय भावनाओं के कारण पूरे कच्छ जिले में जलाशय मत्स्य पालन पर प्रतिबंध है। इसलिए, कच्छ जिले के भुज, अब्दासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार के क्षेत्रों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और संबंधित प्रसंस्करण और आपूर्ति संबंधी इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं नहीं शुरू की गई हैं । हालांकि, समुद्री मात्स्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए पीएमएमएसवाई और राज्य योजना के तहत अन्य गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे कि समुद्री शैवाल (सी वीड) की खेती में प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास, गिल नेट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सबसिडी, ओबीएम टू-स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन, पॉलीप्रोपाइलीन रस्सियाँ, फिशिंग वेसल्स के लिए जंबो प्लास्टिक क्रेट और मछली की हाईजीनिक मार्केटिंग के लिए रीटेल और होलसेल मत्स्य विक्रेताओं को इन्सुलेटेड बॉक्स की खरीद इत्यादि ।

*****